REGN. NO. D. L.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1996/चैत्र 5, 1918
No. 28] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1996/CHAITRA 5, 1918

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1996

आ.अ. 39(अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उसकी तारीख 29 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना सं. 434/त.ना./94(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में क्र.सं. 19—टिंडिवनाम के सामने स्तम्भ (2) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "जिला कलक्टर, विल्लुपुरम रामास्वामी पदयातचियार जिला" प्रविष्टि रखी जायेगी।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, क्रम सं. 17—तिरुचेंगोडे के सामने, स्तम्भ (2) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "अपर कलक्टर (विकास) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास, एजेंसी, सलेम" प्रविष्टि रखी जाएगी।

3. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में क्र. सं. 26-करूर के सामने स्तम्भ (2) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "कलक्टर, करूर धीरान, चिन्नामलाई गाउंडर जिला" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

4. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में क्र. सं. 27-तिरूचिरापल्ली के सामने स्तम्भ (2) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "कलक्टर तिरूचिरापल्ली पेरूम्बिडुगु मुथारायार जिला" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

5. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में क्र. सं. 28-पेरम्बलूर (अ. जा.) के सामने स्तम्भ (2) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "कलक्टर, पेरम्बलूर थिरूवल्लुवर जिला" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[सं. 434/त. ना./96(1)]

आदेश से,

अर्चना अरोड़ा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1996

O. N. 39 (E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/ TN/94 (1), dated 29th September, namely:—

1. In column (2) of the Table appended to the said notification against S. No. 10 Tirdivanam for the existing entry under column (2) the entry "District collector, Villupuram Ramaswamy Padayatchiar District" shall be substituted.

2. In column (2) of the Table appended to the said notification against S. No. 17-Tirachengode for the existing entry under column (2), the entry "Additional Collector (Development)/Project Officer, District Rural Development Agency, Salem" shall be substituted.

3. In column (2) of the Table appended to the said notification against S. No. 26-Karur for the existing entry under column (2), the entry "Collector, Kaur Dheeran Chinnamalai Gounder, District" shall be substituted .

4. In column (2) the Table appended to the said notification against S. No. 27-Tiruchirapalli for the existing entry under the column (2) the entry "Collector Tiruchirappalli Perumbidugu Mutharayar District" shall be substituted.

5. In column (2) of the Table appended to the said notification against S. No. 28-Perambalur (SC) for the existing entry under the column (2), the entry "Collector Perumbalur Thiruvalluvar District" shall be substituted.

[No. 434/TN/96 (1)]

By Order,

ARCHNA ARORA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996